

न्यायालय- ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क.-646 / 2015)

(संस्थित दिनांक :-02.09.15)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र-

गोहद चौराहा जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

1- रघुराज पुत्र अमरसिंह मिर्धा उम्र 23 साल

निवासी ग्राम माता का पुरा थाना गोहद चौराहा

..... अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-25.10.2016 को घोषित)

अभियुक्त पर भा.द.सं. की धारा 294, 323, 506 भाग बी के अन्तर्गत आरोप हैं कि उसने दिनांक 15.08.15 को 11:00 बजे के लगभग ग्राम माता का पुरा फरियादी के घर के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं उपस्थित जन समूह को क्षोभकारित किया, फरियादिया की डण्डा से मारपीट कर जमीन पर पटककर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभिद्रास कारित किया।

02. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 15.08.15 को सुबह करीब 11 बजे फरियादी रामवरन से अभियुक्त जो पड़ौसी था, बोला कि अपना मोबाईल फोन उसे दे दे उसको बात करनी हैं तो अभियुक्त मादरचोद बहनचोद की बुरी गालियां देने लगा। गाली देने से फरियादी ने मना किया तो अभियुक्त ने डण्डा मारा जो फरियादी के कान में बांधी तरफ लगा और खून बहने लगा तथा उसे जमीन पर पटक लिया जिससे कमर में मुदी चोट आई। मौके पर फरियादी की मां राजकुमारी आ गयी जिन्होंने बचाया। जाते समय अभियुक्त बोला कि आज तो बच गए आईदा जान से खत्म कर देंगे। उक्त सूचना से अप0क0-193/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान चिकित्सीय परीक्षण कराया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

03. आरोपी को पद क0 1 अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। दप्रस की धारा 313 के अधीन कथन में स्वयं के निर्दोष होने तथा रंजिशन झूठा फंसाए जाने का कथन किया है।

04. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

- 1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.08.15 को 11:00 बजे के लगभग ग्राम माता का पुरा फरियादी के घर के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं उपस्थित जन समूह को क्षोभकारित किया ?
- 2-क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी के शरीर पर कोई उपहति मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?
- 3-क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामवरन को उक्त चोटें उसे उपहति कारित करने के आशय से स्वेच्छा कारित की गयी ?
- 4-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से किसी प्रकार की धमकी दी गयी ?
- 5-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा फरियादी को दी धमकी से फरियादी को भय अथवा संत्रास कारित हुआ ?

सकारण निष्कर्ष

05. अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी रामवरन, अ.सा.01, श्रीमती राजकुमारी अ0सा0 2, डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 //

06. फरियादी रामवरन अ0सा0 1 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि घटना सुबह 11 बजे की है, वे घर के सामने पैदल चलकर गोहद से जा रहे थे। उसका पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त रघुराज मिर्धा ने उससे मोबाईल मांगा तो फरियादी ने नहीं दिया इसी बात पर अभियुक्त ने उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी। साक्षी अभिकथित घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 के रूप में करना बताते हैं जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। उक्त रिपोर्ट में भी फरियादी से मोबाईल मांगने पर देने से मना करने की बात से मादरचोद बहनचोद की बुरी बुरी गालियां दिए जाने का तथ्य लेख किया गया है। श्रीमती राजकुमारी अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती हैं कि फरियादी उसका पुत्र है और अभियुक्त रघुराज पड़ोस में रहता है। घटना दिनांक को वे घर के अंदर खाना बना रही थी, उन्हें हल्ला सुनाई दिया, उनका लडका चिल्लाया तो वे बाहर आईं। उसके लडके को आरोपी रघुराज लातघूंसें और डण्डे से मार रहा था। अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी यद्यपि फरियादी को अभियुक्त द्वारा गाली गलौंच किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करती है परंतु स्वयं अभियुक्त की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी से कोई गाली गलौंच नहीं दी गयी तो यह साक्षी इस तथ्य से इंकार करती है। इस प्रकार से अभियोजन के

दोनों साक्षियों द्वारा अभियुक्त का फरियादी को गाली गलौंच किए जाने का तथ्य प्रकट किया गया है।

07. प्रकरण में फरियादी द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0 2 पुलिस द्वारा बनाया जाना और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर किया जाना प्रमाणित किये गए हैं। उक्त नक्शामौका में घटनास्थल गांव के लिए गए आम रास्ते से लगकर दर्शाया गया है। ऐसे में अभिकथित स्थान फरियादी द्वारा सार्वजनिक स्थल के रूप में दर्शाया गया है। फरियादी रामवरन अ0सा0 1 ने कण्डिका 2 में स्पष्ट किया है कि झगडा उसके दरवाजे पर हुआ था। ऐसे में घटनास्थल सार्वजनिक स्थान जिस पर फरियादी को अभियुक्त द्वारा "मादरचोद बहनचोद" की गालियां दिए जाने का कथन किया गया है। साथ ही फरियादी द्वारा उक्त गालियां दिए जाने पर अभियुक्त से मना करने व गंदी गंदी गालियां देने का कथन किया है। संहिता की धारा 294 के अधीन सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द या गाली उच्चारित करना दण्डनीय अपराध होता है। यदि कथित अश्लील शब्द या गालियों को सुनकर फरियादी क्षोभकारित हुआ हो या बुरा लगा हो। फरियादी अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्टतः अभियुक्त रघुराज द्वारा उसे गंदी गंदी गालियां दिए जाने का अभिकथन व सार्वजनिक स्थान बताया गया है ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 294 का आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //

08. फरियादी रामवरन अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि जब उन्होंने अभियुक्त को गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे कान में डण्डा मारा जिससे फरियादी को खून बहने लगा और फरियादी को पटककर लातघूंसों से मारपीट की। इसी तथ्य की पुष्टि प्र0पी0 1 की प्राथमिकी से होती है। श्रीमती राजकुमारी यह कथन करती हैं कि जब वे घर से बाहर आईं तो देखा कि आरोपी रघुराज लातघूंसों व डण्डे से उसके लडके को मार रहा था जिससे लडके ने कान में, पीठ में व सिर में चोट बताई थी। फरियादी रामवरन उसे आई चोट के संबंध में पुलिस द्वारा गोहद अस्पताल में मेडीकल कराए जाने का कथन करते हैं।

09. प्रकरण में चिकित्सीय साक्षी डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 3 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 15.08.15 को गोहद में मेडीकल आफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहे से आरक्षक मेघसिंह द्वारा लाए जाने पर उन्होंने आहत रामवरन का चिकित्सीय परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाई थी। चोट क्र0 1 सूजन जो कि बाएं कान के पीछे थी जिसके लिए ई0एन0टी0 विशेषज्ञ को रैफर किया गया था। चोट क्र0 2 खरोंच जो बाएं कान के पिन्ना पर थी जिसका आकार 1 गुणा 0.1 सेमी0 था। चिकित्सक के अनुसार आहत को आई चोटें कठोर एवं भौथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रहीं थी जो कि चिकित्सीय परीक्षण से 0 से 6 घण्टे के अंदर की होने और सामान्य प्रकृति की होना प्रतीत हो रहीं थी। आहत का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0 3 बताकर उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। चिकित्सक द्वार आहत को उसके बाएं कान के पास चोट

आने के संबंध में किए गए कथन की अभिपुष्टि की गयी है। प्र0पी0 3 की रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किए जाने से भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर उक्त अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन संदिग्ध परिस्थिति व खण्डन के अभाव में सम्यक रूप से सही निष्पादित किए जाने का आधार दर्शाती है। स्वयं अभियुक्त की ओर से आहत को आई चोटें बाएं कान के बल गिरने से आना संभव होने का सुझाव चिकित्सक को दिया है। किन्तु स्वयं आहत को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया। अर्थात् फरियादी चोट का खण्डन नहीं कराया गया। ऐसे में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 15.08.15 को दिन के करीब 11 बजे फरियादी रामवरन को उसके बाएं कान के पास कठोर व भौथरी वस्तु से चोट कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या फरियादी को आई चोट उपहति कारित करने के आशय से स्वेच्छा कारित की गयी ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 //

10. फरियादी रामवरन यह कथन करते हैं कि जब अभियुक्त ने उससे मोबाईल मांगा और उसने मोबाईल देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे गंदी गंदी गालियां दी। इसके बाद फरियादी को कान में डण्डा मारा जिससे खून बहने लगा और पटक कर लातघूंसों से मारा इतने में उसकी मां आ गयी। इस प्रकार से अभियुक्त द्वारा मोबाईल देने से फरियादी के मना करने की बात से फरियादी को स्वेच्छा उपहति कारित करने का कथन किया गया है। घटना की साक्षी अपनी मां श्रीमती राजकुमारी अ0सा0 2 को बताते हैं। श्रीमती राजकुमारी अ0सा0 2 यह कथन करती हैं कि वे घटना के समय घर के अंदर खाना बना रही थी, उन्हें हल्ला सुनाई दिया, उसका लडका चिल्लाया तो वह बाहर आई तब आरोपी रघुराज लातघूंसों और डण्डे से उसके लडके को मार रहा था। इस प्रकार से इस साक्षी द्वारा घटनास्थल जो कि फरियादी के घर के सामने बताया गया है वहां पर घटना देखने के संबंध में स्वाभाविक साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से साक्षी श्रीमती राजकुमारी अ0सा0 2 को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह सुझाव दिया गया है कि जब वह पहुंची तो मारपीट हो रही थी उससे पहले क्या हुआ उन्होंने नहीं देखा। इस सुझाव से स्वयं ही स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी की मारपीट की जा रही थी जिसकी स्वाभाविक साक्षी श्रीमती राजकुमार थी।

11. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से फरियादी व उसकी मां राजकुमारी अ0सा0 2 को प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया गया है कि अभियुक्त को फरियादी से पांचसौ रुपये लेने थे और उक्त रुपये न देने पड़े इसलिए फरियादी ने झूठी रिपोर्ट लिखाई है। उक्त सुझाव से साक्षीगण द्वारा इंकार किया गया है। कथित रूप से पांचसौ रुपये फरियादी ने अभियुक्त से लिए हो इस बात का कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर पेश नहीं किया गया। ऐसे में मात्र सुझाव दे देने से अभियोजन का प्रमाणित मामला संदिग्ध नहीं हो जाता है। अतः लिया गया बचाव सारहीन पाया जाता है।

12. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी स्वंत्रत व्यक्ति द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है ऐसे में मामला प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में इस तर्क के संबंध में यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि घटनास्थल के आसपास अन्य लोगों के भी मकान हैं लेकिन किसी को परीक्षित नहीं कराया गया। न्यायालय को साक्ष्य के मूल्यांकन करने में साक्षियों की संख्या को महत्व नहीं देना होता है बल्कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षियों की सत्यबाधिता की परीक्षा व विश्लेषण करना होता है। प्रकरण में अभियोजन के साक्षीगण यद्यपि हितबद्ध है किन्तु वे घटना के स्वभाविक व समुचित साक्षी हैं जिनके कथनों पर युक्तियुक्त रूप से अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटनास्थल के आस पास के अन्य व्यक्तियों को साक्ष्य में प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन के मामले को पूर्णता को खण्डित नहीं कर देते हैं। ऐसे में लिया गया बचाव औचित्यहीन व सारहीन पाया जाता है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 323 का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 व 5 //

13. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी रामवरन अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि अभियुक्त द्वारा उसकी मारपीट की गई इसके बाद उसकी मां आ गयी तो अभियुक्त बोला कि आज तो छोड़ देते हैं आईदा जान से मार देंगे। श्रीमती राजकुमार अ0सा0 2 यह कथन करती हैं कि उसके पहुंचने पर अभियुक्त बोला कि तेरी मां आ गयी इसलिए बच गया नहीं तो जान से खत्म कर देता, आईदा मिला तो जान से खत्म कर देगा। इस प्रकार से दोनों साक्षियों द्वारा अभियुक्त का फरियादी को दुबारा मिलने पर जान से खत्म कर देने की धमकी दिए जाने का तथ्य प्रकट किया गया है। प्र0पी0 1 में भी इसी तथ्य का उल्लेख किया गया है। किन्तु फरियादी या साक्षी को अभिकथित धमकी से कोई भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, इस संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य नहीं हैं, मात्र कह देने से किसी धमकी के आधार पर भय अथवा संत्रास कारित होने का तथ्य यदि अभिलेख पर न हो तो ऐसी दशा में अभिकथित धमकी अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक दायित्व की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

14. संहिता की धारा 506 भाग दो के अधीन अभियोजन को यह तथ्य प्रमाणित करना होता है कि फरियादी को अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा ऐसी धमकी दी गयी जिसमें मृत्यु कारित करने, अग्नि द्वारा रिष्टि या स्वेच्छा घोर उपहति कारित किए जाने के संबंध में संत्रास कारित करने का आशय रहा हो। भय अथवा संत्रास कारित होने के तथ्य का विनिश्चय मानसिक तथ्य संबंधी है जिसका निष्कर्ष साक्षीगण के कथनों और विशेषकर साक्षियों के आचरण के आधार पर निकाला जाना संभव होता है। प्रकरण में उक्त साक्षियों द्वारा भय अथवा संत्रास कारित होने के संबंध में अभिव्यक्त रूप से कथन नहीं किया गया है। जहां तक साक्षीगण के आचरण का प्रश्न है तो

फरियादी प्र०पी० 1 की रिपोर्ट घटना के पश्चात् थाने में करना बताते हैं उक्त रिपोर्ट में घटनास्थल की दूरी आरक्षी केन्द्र से करीब 3 किमी० लेख की गयी है और विलंब का कारण पैदल चलकर आने का लेख है। फरियादी रामवरन अ०सा० 1 जिसे रिपोर्ट प्र०पी० 1 के अनुसार सिर में चोटों से घाव बताए गए हैं वह पैदल तीन किमी० आनेपर 4-5 घण्टे की अवधि में दूरी को तय करता है और कोई भय या संत्रास यदि होता तो उसमें विलंब की स्पष्टीकरण के रूप में उसका उल्लेख होता। इस प्रकार से प्रकरण में फरियादी को भय अथवा संत्रास कारित होने के संबंध में तथ्य प्रमाणित नहीं हैं। अतः संहिता की धारा 506 भाग दो का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

15. अतः अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष संहिता की धारा 294, 323 के आरोप को प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने साक्ष्य फरियादी रामवरन को स्वेच्छा उपहति कारित की।

16. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। उन्हें अभिरक्षा में लिया जावे।

17. अभियुक्त को उनके स्वेच्छक अपराध को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

18. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के नवयुवक होने के आधार पर एवं फरियादी एक ही गांव व पड़ोसी होने से उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

19. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। साथ ही उनकी नवयुवक होकर करीब 23 वर्ष की आयु का होने एवं फरियादी तथा अभियुक्त के मध्य विवाद मोबाईल मांगने के मामूली बात से होने के कारण दण्ड के प्रश्न पर व उसके निर्धारण करने के समय विचारण योग्य है कि आहत को आई साधारण उपहति को ध्यान में रखते हुए को संहिता की धारा 294, 323 के अधीन अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा तथा कमशः **1000-500 रुपये कुल 1500/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

20. अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत रामवरन बाथम पुत्र नेतराम बाथम को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्तर की धारा 357-1 ख के अधीन सात सौ रुपये आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

21. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।
22. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
23. अभियुक्त की निरोधावधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश